उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

प्रेस नोट- सितम्बर 26, 2023

सर्वोत्तम वर्ल्ड के विज्ञापन को उ.प्र. रेरा ने 'भ्रामक और कपटपूर्ण' बताते हुए खरीदारों एवं निवेशकों को आगाह किया

उ.प्र. रेरा को ज्ञात हुआ है कि एक प्रोमोटर **'सर्वोत्तम वर्ल्ड'** (SARVOTTAM WORLD) द्वारा **'न्योडा'** (NEWOIDA) नाम की एक हाई-टेक टाउनशिप में **'मेगापोलिस/ सर्वोत्तम मेगापोलिस'** नाम की रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन मीडिया के सभी मंचों- समाचार पत्र, रेडियो, डिजिटल, आदि पर प्रसारित तथा प्रचारित किया जा रहा है। **इस संबन्ध में आपको सूचित एवं आगाह करना है कि उक्त विज्ञापन "पूर्णतः भ्रामक और कपटपूर्ण"** है। **विज्ञापन में प्रस्तुत विवरण के अनुरूप कोई परियोजना** रेरा में **पंजीकृत नहीं है। विज्ञापन में दिए गए तीनों पंजीयन सँख्या-** UPRERAPRJ10825, UPRERAPRJ10851 **तथा** UPRERAPRJ11033 **अन्य प्रोमोटर, मेसर्स उत्तम स्टील एण्ड एसोसिएट (कन्सॉर्श्यम) तथा मेसर्स अंसल हाई-टेक टाउनशिप, के नाम पर दर्ज है।**

प्रोमोटर द्वारा इस प्रकार का विज्ञापन रेरा अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन है एवं रियल एस्टेट के खरीदारों तथा निवेशकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। उ.प्र. रेरा प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन और विकास हेतु प्रतिबद्ध है तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के संभावित एवं भावी खरीदारों तथा निवेशकर्ताओं से अपील करता है कि परियोजना में खरीदारी या निवेश के पूर्व परियोजना से जुड़ी समस्त जानकारी विज्ञापन पर दिए गए पंजीयन संख्या के जरिए प्राप्त करें जो रेरा पोर्टल, www.up-rera.in, पर उपलब्ध है और उसके उपरान्त ही कोई निर्णय लें।

प्रोमोटर का यह कृत्य 'रेरा अधिनियम 2016' के अन्तर्गत दण्डनीय है और इसके लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है जिससे समस्त रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके और प्रोमोटर्स से रेरा अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराया जा सकें।

प्रमोद कुमार उपाध्याय
(सचिव, उ.प्र. रेरा)